>

Title: Need to include Rajasthani language in the Eight Schedule to the Constitution.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, राजस्थानी भाषा राजस्थान के लगभग 6 करोड़ निवासियों और लगभग अन्य 3 करोड़ लोग जो देश के अन्य राज्यों एवं विदेशों में रह रहे हैं, की मातृभाषा है। खेद का विषय है कि आजादी के 60 वर्षों बाद भी हम राजस्थानी लोग इस सदन में अपनी भाषा में नहीं बोल सकते हैं। राजस्थान विधानसभा ने एक सर्वसम्मत संकल्प पारित करके इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन किया है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में बोली जाने वाली मेवाड़ी, ढुंढाणी, मारवाड़ी, मेवाती भाषा बोलने वालों को यह अधिकार मिले इसके लिए मैं सदन में प्रार्थना करता हूं। गत सत्र में सदन में इस विषय पर विधेयक लाने का आश्वासन माननीय गृह राज्यमंत्री जी ने दिया था। मैं यहां बैठे हुए यूपीए के नेताओं और सदन के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सत्र में राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किए जाने के लिए विधेयक लाएं और उसे पारित कराकर, हमें अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दें।